

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी। (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0 दिनांक.....

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कार्यपालक पदाधिकारी, मोतिहारी/रक्सौल/सुगौली/
अरेराज/मेहसी/चकिया/केसरिया/पकड़ीदयाल/ढाका
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय किस्त की कुल राशि 70000000.00(सात करोड़)रु० मात्र का उपावंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-999 दिनांक-14.05.13 के आलोक में पेंशनधारियों को नगद भुगतान हेतु निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के आदेश संख्या-18 दिनांक-17.02.2013 द्वारा प्राप्त आवंटन में से प्रखंडों/नगर निकायों को प्रथम किस्त के उपावंटन के पश्चात् अवशेष राशि 1,75,47,200.00 एवं निदेश सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना के ज्ञापक-33 दिनांक-28.06.13 द्वारा द्वितीय किस्त के उपावंटन के पश्चात् अवशेष राशि 1,75,47,200.00 एवं निदेश सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना के ज्ञापक-74 दिनांक-04.10.13 द्वारा प्राप्त आवंटन 1,50,00,000.00 (एक करोड़ पचास लाख) कुल आवंटन 18,10,00,000.00(अठारह करोड़ दस लाख)रु० के उपावंटन के पश्चात् निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना के ज्ञापक-105 दिनांक-15.01.2014 द्वारा प्राप्त आवंटन 70,00,000.00 (सात करोड़) रु० के उपावंटन के अनुसार उपावंटित किया जाता है।


क्रमांक	प्रखंड/नगर निकायों का नाम	प्रथम आवंटन	द्वितीय आवंटन	तृतीय आवंटन	चतुर्थ आवंटन	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोतिहारी	3934800	4600000	730000	3200000	12464800	
2	मोतिहारी नगर परिषद		2600000	238000	1240000	4078000	
3	बंजरिया	2935800	2800000	442000	2080000	8257800	
4	तुरकौलिया	3456000	3000000	594000	2660000	9710000	
5	सुगौली	3561000	3000000	587000	2560000	9708000	
6	सुगौली नगर पंच		1200000	119000	560000	1879000	
7	पीपराकोठी	1251600	1000000	204000	960000	3415600	
8	कोटवा	3834000	3000000	544000	2660000	10038000	
9	ढाका	6139800	4500000	782000	3680000	15101800	
10	ढाका नगर पंच		1200000	136000	640000	1976000	
11	घोड़ासहन	2937000	3500000	476000	2240000	9153000	
12	बनकटवा	1640400	1600000	340000	1600000	5180400	
13	चिरैया	3195600	4500000	782000	3680000	12157600	
14	चकिया	3915600	3000000	612000	2880000	10407600	
15	चकिया नगर पंच.		800000	68000	320000	1188000	
16	मेहसी	838200	2100000	442000	2080000	5460200	
17	मेहसी नगर पंच		900000	102000	480000	1482000	
18	कल्याणपुर	2105400	4700000	816000	3840000	11461400	
19	केसरिया	258000	3000000	628000	2720000	6606000	
20	केसरिया नगर पंच		772200	68000	320000	1160200	

21	पताही	3032400	2800000	510000	2400000	8742400	
22	पकड़ीदयाल	1387800	2000000	306000	1440000	5133800	
23	पकड़ीदयाल नगर पं०		900000	102000	480000	1482000	
24	फेनहारा	535200	900000	204000	960000	2599200	
25	तेतरिय	1560000	1600000	306000	1440000	4906000	
26	मधुबन	752400	3000000	442000	2080000	6274400	
27	अरेराज	3532800	2600000	476000	2240000	8848800	
28	अरेराज नगर पं०		775000	68000	320000	1163000	
29	संग्रामपुर	3722400	2600000	476000	2240000	9038400	
30	हरसिद्धि	4218600	4700000	646000	3040000	12604600	
31	पहाड़पुर	3882000	2800000	544000	2560000	9786000	
32	रक्सौल	2075400	2200000	442000	2080000	6797400	
33	रक्सौल नगर परिषद्		1400000	136000	640000	2176000	
34	रामगढ़वा	4756800	2700000	544000	2560000	10560800	
35	छौड़ादानो	3588600	3000000	510000	2400000	9498600	
36	आदापुर	4405200	2800000	578000	2720000	10503200	
	कुल योग	77452800	88547200	15000000	70000000	251000000	
(सात करोड़ रुपये मात्र)							

- उपावटित राशि मॉग सं०-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप मुख्य शीर्ष-0101 इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा विपत्र कोड-P-2235031010101 तथा स्कीम कोड- WEL-5498 से विकलनीय होगा।
- जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्/ नगर पंचायत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत कोषागार से राशि निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिस मद में राशि आवंटित की गयी है उसी मद में खर्च किया जायेगा।
- सभी कार्यपालक पदाधिकारी, प्रथम किस्त के उपावंटन की नगर परिषद् /नगर पंचायत के हिस्से की राशि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे।
- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में हर माह अद्यतन पेंशनधारी की संख्या, भुगतान की स्थिति तथा लंबित भुगतान स्थिति का प्रतिवेदन प्रत्येक माह के तीसरी तारीख तक अवश्य भेजे।
- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार बिहार को भेजते हुए उसकी प्रति सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय। उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक.....21.....सा0सु0 दिनांक.....25/01/14.....
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेषित।



जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक.....21.....सा0सु0 दिनांक.....25/01/14.....
प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।